

न्यायालय तहसीलदार राजाखेडा (धौलपुर)

निर्णय दिनांक 28.11.17

रिपोर्ट पटवारी हल्का पुष्पबन द्वारा प्रस्तुत की गई । प्रकरण राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर होकर अतिक्रमी को जरिये नोटिस तलब किया जावे । पत्रावली दिनांक 1.11.17 को पेश हो ।

पत्रावली पेश हुई । आवाज लगवाई गई गैर सायल उपस्थित / अनुपस्थित रहा संक्षिप्त में विवरण निम्नप्रकार है कि पटवारी हल्का पुष्पबन द्वारा इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि गैर सायल महेन्द्र सिंह पुत्र बिन्दा राम कौम राजपुर निवासी राजपुर तहसील राजाखेडा ने आराजी ख0न0 912 किस्म कपास रकवा 507 बांके ग्राम सुहि विनायक पर पुष्पबन की अतिक्रमण कर लिया है प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । गैर सायल को जरिये नोटिस से तलब किया गया । गैर सायल उपस्थित / अनुपस्थित रहा । कोई सबूत व साक्ष्य पेश नहीं किया गया । तत्पश्चात रिपोर्ट पटवारी हल्का का अवलोकन किया तो पाया गया कि अतिक्रमी का अतिक्रमण सिद्ध होता है ।

अतः राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी को उक्त आराजी से बेदखल किया जाता है शरह लगान 140 की 50 गुनी से शास्ति राशि 700 रुपये आरोपित की जाती है । भू0 अभिलेख निरीक्षक / पटवारी हल्का को लिखा जावे । टी0आर0ए0 का माग कायमी हेतु लिखा जाकर पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो । निर्णय खुल न्यायालय सुनाया गया ।

[Signature]
तहसीलदार
राजाखेडा

साश 70 गजिका क
पत्र सं० 25 पत्र सं० 1
द हजे को गई
[Signature]
JRA
राजाखेडा